न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1361

1. बनवारी पुत्र माला निवासी झेरेवाली ढाणी तन आदर्श नगर बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. गिरधारी पुत्र माला निवासी झेरेवाली ढाणी तन आदर्श नगर बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. रामसिंह पुत्र कुम्भाराम निवासी झेरेवाली ढाणी तन आदर्श नगर बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. सुलतान पुत्र कुम्भाराम निवासी झेरेवाली ढाणी तन आदर्श नगर बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं,राजस्थान।

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं निर्णय दिनांक 10.02.2025 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 एल.आर.एक्ट मुकदमा नंबर 42/2025 कदीमी प्रचलित रास्तों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज बाबत्।

उपस्थित :–

1. श्री हेमन्त दीक्षित, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक–01.10.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 10.02.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 30.04.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के द्वारा दिनांक 04.12.2024 को पटवार मण्डल प्रतापपुरा के राजस्व ग्राम आदर्श नगर के हाल भूमि आराजी खसरा नम्बर 86, 74, 90, 73, 303/75 में से जाने वाले प्रचलित रास्ता जो कि झेरावाली ढाणी से देसूसर को जाता है। रास्ते की सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी के आधार पर रास्ते हेतु उपयोग में आ रही भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने हेतु प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (रास्ता प्रस्ताव) स्वीकार कर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें तथा मुताबिक रास्ता सर्वे रिपोर्ट में पूर्व में दर्ज गैर मुमकिन रास्ते संशोधित/विलोपित करें। रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गैर मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुन्झुनूं को प्रेषित किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2025 को पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 10.02.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट बनवारी पुत्र माला द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं दिनांक 10.02.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 10.02.2025 खिलाफ कानून न्याय एवं पत्रावली के होने से खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट जमीन हाल ख. नं. 86, 74, 90, 73, 303/75 राजस्व ग्राम आदर्श नगर के सहखातेदार है। कानून से बिना खातेदार को सुने किसी एक खातेदार की खातेदारी खत्म नहीं की जा सकती है। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुने उनकी खातेदारी की जमीन में से रास्ता निकाला है। इस प्रकार अपीलान्ट के साथ अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। इस कारण औलाच्य निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है। तहसीलदार मय पटवारी ने अपीलान्ट की खतोदारी में से कहां से रास्ता का प्रस्ताव बनाया है वहां से कभी कोई रास्ता कभी नहीं रहा। किसी व्यक्ति ने अपने निजी स्वार्थ के लिये धारा 251(A) आरटी एक्ट के प्रकरण से बचने के लिये प्रशासन से मिलकर मौजूदा औलाच्य आदेश जारी करवाया है जो गलत है। अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया, अपीलान्ट को सुना नहीं गया। अपीलान्ट की जबाबदेही नहीं ली। गलत रूप से किसान की खातेदारी खत्म की है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार ने रास्ता प्रस्ताव के साथ संयुक्त सहमति पत्र का स्टॉम्प 50 रूपये का लगा रखा है जिस पर अपीलान्ट गिरधारी व सुलतान के फर्जी हस्ताक्षर है जो स्टॉम्प प्राप्तकर्ता श्रीराम पुत्र मालाराम ने फर्जी किये है। संयुक्त सहमति पत्र फर्जी व कुटरचित रूप से तैयार किया गया है। संयुक्त सहमति पत्र में हैण्ड राईटिंग से ख. नं. बाद में जोड़े गये है।

औलाच्य आदेश की पालनार्थ नामान्तकरण संख्या 317 गलत रूप से स्वीकृत करने के बाद ख. नं. 95 के ख. नं. 401/86 रकबा 0.0160 हैक्टर व ख. नं. 402/86 रकबा 0.0540 हैक्टर बने तथा खसरा नं. 74 के खसरा नं. 399/74 व 450/74 बने, ख. नं. 90 के ख. नं. 403/90 व 404/90 बने। प्रस्ताव में बदलाव कर गलत संशोधित प्रस्ताव बाद में तैयार किया गया है प्रस्ताव व निर्णय में भिन्नता है इस प्रकार आलौच्य निर्णय खारिज होने योग्य है। आलौच्य निर्णय तर्क एवं निष्कर्ष सहित स्पष्ट रूप से पारित नहीं किया, अपीलान्ट को नुकसान कारित किया है। आलोच्य निर्णय पारित करने का आधार दर्ज नहीं है निर्णय विधिविरूद्ध होने से खारीज होने योग्य है। आलौच्य निर्णय निर्णय की पत्रावली में अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे। अपीलान्ट को बिना नोटिस जारी किये उनकी खातेदारी की जमीन में से रास्ता कायम कर दिया इस कारण अपीलान्ट आलौच्य निर्णय से प्रभावित है इस कारण अपीलान्ट को आलौच्य निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील पेश करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित है। इजाजत हेतु धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। आलौच्य निर्णय अपीलान्ट की पीठ पीछे पारित किया है इस कारण आलौच्य निर्णय का अपीलान्ट को पहले से पता नहीं था। दिनांक 07.04.2025 को गांव की चौपाल पर आलौच्य निर्णय पारित होने की चर्चा शुगबुगाह हुई तब जानकारी कर दिनांक 08.04.2025 को अपीलान्ट ने आलौच्य निर्णय की नकल प्राप्त की। करीब 20 दिन का समय अपीलान्ट को परिवार में चर्चा करने में लग गये। इस प्रकार बरोज जानकारी दिनांक 08.04.2025 से अपील अन्दर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मियाद पेश है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 10.02.2025 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी. सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य आदेश तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं दिनांक 10.02.2025 प्रकरण संख्या 42/2025 को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के द्वारा दिनांक 04.12.2024 को पटवार मण्डल प्रतापपुरा के राजस्व ग्राम आदर्श नगर के हाल भूमि आराजी खसरा नम्बर 86, 74, 90, 73, 303/75 में से जाने वाले प्रचलित रास्ता जो कि झेरावाली ढाणी से देसूसर को जाता है। रास्ते की सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी के आधार पर रास्ते हेतु उपयोग में आ रही भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने हेतु प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (रास्ता प्रस्ताव) स्वीकार कर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्व किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें तथा मुताबिक रास्ता सर्वे रिपोर्ट में पूर्व में दर्ज गैर मुमकिन रास्ते संशोधित/विलोपित करें। रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गैर मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुन्झुनूं को प्रेषित किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2025 को पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2025 पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 07.04.2025 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का प्रतापपुरा की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार झुन्झुनूं के द्वारा दिनांक 04.12.2024 को पटवार मण्डल प्रतापपुरा के राजस्व ग्राम आदर्श नगर के हाल भूमि आराजी खसरा नम्बर 86, 74, 90, 73, 303/75 में से जाने वाले प्रचलित रास्ता जो कि झेरावाली ढाणी से देसूसर को जाता है। रास्ते की सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी के आधार पर रास्ते हेतु उपयोग में आ रही भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने हेतु प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (रास्ता प्रस्ताव) स्वीकार कर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्व किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें तथा मुताबिक रास्ता सर्वे रिपोर्ट में पूर्व में दर्ज गैर मुमकिन रास्ते संशोधित/विलोपित करें। रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गैर मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुन्झुनूं को प्रेषित किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2025 को पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.02.2025 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर